भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 430

दिनांक 30.11.2021/ 9 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदाएं

†430. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुब्रत पाठकः
श्री रविन्दर कुशवाहाः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री प्रतापराव जाधवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अवगत है कि अक्टूबर, 2021 के महीने में उत्तराखण्ड और देश के अन्य भागों में भारी बारिश हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस असामयिक वर्षा और बाढ़ के कारण हताहत हुए पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने निरंतर वर्षा के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए इन राज्यों के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों हेतु कोई टीम भेजी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और टीम के निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन बाढ़ में जान-माल गंवाने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों के निकट संबधियों के लिए किसी वित्तीय मदद की घोषणा की है; और

(च) क्या सरकार ने वर्षा और बाढ़ के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य के लिए किसी वित्तीय पैकेज की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय)

(क) से (घ): भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी मध्य प्रदेश के ऊपर निचले स्तर पर बहने वाली जोरदार पूर्वी हवाओं के बीच टकराव होने से 17 और 18 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा हुई है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 430 दिनांक 30.11.2021

उत्तराखंड राज्य सरकार ने 17 और 19 अक्टूबर, 2021 के बीच असामान्य भारी वर्षा के कारण 72 लोगों की मृत्यु होने की सूचना दी है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य में अक्टूबर, 2021 के महीने में भारी वर्षा से हुई क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए एक "अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी)" गठित की है, जिसने 22-24 अक्टूबर, 2021 को राज्य का दौरा किया है। आईएमसीटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है।

(ङ) और (च): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, राहत के उपाय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार अपने पास पहले से मौजूद राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन शामिल है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता राहत के रूप में प्रदान की जाती है, न कि हुईदावा की गई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए। एसडीआरएफ से व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, मौके पर प्रभावित लोगों को राहत का संवितरण करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एसडीआरएफ में अपने अंश की दोनों किस्तों के रूप में कुल 17,747.20 करोड़ रु. की राशि अग्रिम तौर पर जारी कर दी है, जिसमें उत्तराखंड राज्य के लिए 749.60 करोड़ रु. शामिल है।

****